आयोजनागत राज्य सेक्टर

संख्या- 17/2015/538 /चौदह-4-2015-517/2010

प्रेषक,

शहजादे लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 26 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-60 आयोजनागत योजना-''नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन ऑफ एक्वेटिक ईको सिस्टम'' हेतु धनराशि रू0 331.55 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-201/चौदह-4-2015-517/2010 दिनांक 23 मार्च, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान सं0-60 आयोजनागत पक्ष में आयोजनागत योजना-''नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन ऑफ एक्वेटिक ईको सिस्टम'' हेतु राजस्व लेखा एवं पूंजी लेखा के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशि रू0 331.48 लाख का पुनर्विनियोजन तथा पुनर्विनियोजन के उपरान्त कुल धनराशि रू0 331.55 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 23.03.2015 के चौथी एवं पांचवी पंक्ति में अंकित "पुनर्विनियोजन आदेश सं0-201/चौदह-4-2015-517/2010 दिनांक 23 मार्च, 2015" के स्थान पर "पुनर्विनियोजन आदेश सं0-201ए/चौदह-4-2015 दिनांक 19 मार्च, 2015" पढ़ा जाय।

3- उक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 23.03.2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4- उक्त सन्दर्भित आदेश सं0-201/चौदह-4-2015-517/2010 दिनांक 23 मार्च, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव

संख्या-538(1)/चौदह-4-2015-517/2010 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- नियोजन अनुभाग-3
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in